संख्याः– 3677 / III(2) / 08–56(प्रा0आ0) 2007

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 18 नवम्बर, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग धुमाकोट (पौड़ी) के आवासीय भवनों के निर्माण की प्रशासकीय / वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 235 / 83 भवन–उ0 / 07 दिनांक 20.2.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग धुमाकोट (पौडी) के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये रूपये 362.50 लाख की लागत के आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 344.83 लाख (रूपये तीन करोड चौवालीस लाख तेरासी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु रू0 05. 00 लाख (रू0 पॉच लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरो का जो दरे शैडयूल आफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– विभागाध्यक्ष / नियुक्ति अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित करेगें कि आवास बनने तक रिक्त पद अवश्य भर लिये जायें, ताँकि आवास का पूर्ण उपयोग हो सके और राज्य को राजस्व हानि न हो।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो / विशिष्टयो के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल उच्च अधिकारियो एवं भू–गर्भवेता के साथ भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा ले, निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, व्यय उन्ही मदो पर किया जाय,एक मद की राशि दूसरे मदो पर व्यय कदापि न किया जाय।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

11– उक्त कार्यो हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

12– कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा। समयबद्वता रूप से कार्य करने हेतु संबंधित अधिकारी/ निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध कर पैनल्टी क्लास लगाये जाने पर विचार कर सकते है ।

13– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31–03–09 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 का भी अनुपालन किया जाय।

14– आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा और उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही उक्त कार्यों पर आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15– कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–2009 के अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य भवन–09–लोक निर्माण (नए कार्य) –00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा

16– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या– 541/XXVII(2)/2008, दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–3677 (1)/III(2)/08–56(प्रा0आ0) 2007, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी ।
5. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव